रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022024-252138
CG-DL-E-15022024-252138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 15, 2024/माघ 26, 1945
No. 99] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 15, 2024/MAGHA 26, 1945

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी,2024

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.113- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) में विनियम 4ग के पश्चात्त्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

   "4घ. प्रत्येक भू-संपदा परियोजना के लिए पृथक् बैंक खाते का प्रचालन

जहां कारपोरेट ऋणी की कोई भू-संपदा परियोजना है वहां, यथास्थिति, अंतरिमसमाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, प्रत्येक भू-संपदा परियोजना के लिए पृथक् बैंक खाते का प्रचालन करेगा ।"

3. मूल विनियमों के विनियम 18 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) कोई समाधान व्यावसायिक, अंतिम बैठक से तीस दिन व्यपगत होने से पूर्व एक बैठक बुलाएगा :

परन्तु समिति ऐसी बैठकों के बीच अंतराल को, इस शर्त के अधीन रहते हुए, बढ़ाने का विनिश्चय़ कर सकेगी कि प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी ।"

4. मूल विनियमों के विनियम 25 के उप-विनियम (5) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) ऐसे सदस्यों से, जिन्होंने बैठक में, मतदान के लिए सूचीबद्ध विषयों परमतदान नहीं किया था, विनियम 26 के अनुसार इलैक्ट्रानिक मतदान पद्धति से मतदान कीईप्सा करेगा, जहां कि मतदान, कार्यवृत्त के परिचालन से ऐसे समय के लिए, जो समिति विनिश्चित करे, खुला रखा जाएगा, जो कि चौबीस घंटे से कम और सात दिन से अधिक नहीं होगा:

परन्तु किसी लेनदार द्वारा विस्तारण के लिए किए गए अनुरोध पर, मतदान विंडो चौबीस घंटे की अवधि की वृद्धियों के लिए विस्तारित की जाएगी :

परन्तु यह और कि जहां मतदान के लिए सूचीबद्ध विषयों पर अपेक्षित बहुमत पहले ही प्राप्त हो चुका है और अपेक्षित बहुमत प्राप्त होने के पश्चात् एक विस्तारण दिया जा चुका है, वहां समाधान व्यावसायिक, मतदान विंडो को विस्तारित नहीं करेगा ।"

5. मूल विनियमों में, विनियम 31क के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**31ख. दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के लिए समिति का अनुमोदन**

दिवाला व्यावसायिक, समिति की प्रत्येक बैठक में, कारपोरेट ऋणी की प्रचालन संबंधी स्थिति रखेगा और ऐसे समस्त खर्चों के लिए उसके अनुमोदन की ईप्सा करेगा जो दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत का भाग हैं ।"

6. मूल विनियमों के विनियम 35 के उप-विनियम (1) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु समाधान व्यावसायिक एक ऐसी बैठक सुकर बनाएगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, प्राक्कलनों की संगणना करने से पूर्व समिति के सदस्यों को वह पद्धति स्पष्ट करेगा जो मूल्यांकन करने में अपनाई जा रही है ।"

7. मूल विनियमों के विनियम 35 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) समाधान व्यावसायिक, संहिता और इन विनियमों के अनुसार समाधान योजनाएं प्राप्त करने के पश्चात्, समिति के प्रत्येक सदस्य को उचित मूल्य, समापन मूल्य और मूल्यांकन रिपोर्टें इलैक्ट्रानिक रूप में तब प्रदान करेगा जब सदस्य से इस आशय का वचनबंध प्राप्त हो जाता है कि ऐसा सदस्य, उचित मूल्य, समापन मूल्य और मूल्यांकन रिपोर्टों के बारे में गोपनीयता बनाए रखेगा और मूल्यांकन रिपोर्टों में अंतर्विष्ट जानकारी का प्रयोग स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि पहुंचाने के लिए नहीं करेगा और धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।"

8. मूल विनियमों के विनियम 36 के उप-विनियम (2) में, खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखितखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(टक) उचित मूल्य:

परन्तु समिति तब उचित मूल्य प्रकट न करने का विनिश्चय कर सकेगी, यदि उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, वह यह समझती है कि ऐसा अप्रकटन समाधान प्रक्रिया के लिए लाभप्रद होगा ।"

9. मूल विनियमों के विनियम 36कमें, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: समाधान व्यावसायिक, समिति के अनुमोदन के पश्चात्, कारपोरेट ऋणी की प्रत्येक भू-संपदा परियोजना या परियोजनाओं के समूह के लिए एक समाधान योजना आमंत्रित कर सकेगा ।"

10. मूल विनियमों के विनियम 38 में, उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(4) समिति, समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए एक मानिटरिंग समिति की आवश्यकता पर विचार कर सकेगी ।

(5) जहां समिति यह समझती है कि समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए एक मानिटरिंग समिति की आवश्यकता है तो वह समाधान योजना का अनुमोदन करते समय समाधान व्यावसायिक के साथ उसका गठन करने का विनिश्चय कर सकेगी या किसी एक अन्य दिवाला व्यावसायिक या किसी अन्य व्यक्ति की उसके सदस्य के रूप में प्रस्थापना कर सकेगी:

परन्तु जहां समाधान व्यावसायिक को, मानिटरिंग समिति के भाग में प्रस्थापित किया जाता है वहां उसे संदेय मासिक फीस उसके द्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्राप्त की गई मासिक फीस से अधिक नहीं होगी ।"

11. मूल विनियमों के विनियम 40 में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन तब तक करता रहेगा जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा विस्तारण संबंधी आवेदन को विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है ।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./753/2023-24]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 645, तारीख 18 सितम्बर, 2023 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.106, तारीख18 सितम्बर, 2023 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2024

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2024

No. IBBI/2023-24/GN/REG113.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), after regulation 4C, the following regulation shall be inserted, namely: -

   "4D. Operating separate bank account for each real estate project.

   Where the corporate debtor has any real estate project, the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, shall operate a separate bank account for each real estate project."

3. In the principal regulations, in regulation 18, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(1) A resolution professional shall convene a meeting of the committee before lapse of thirty days from the last meeting:

Provided that the committee may decide to extend the interval between such meetings subject to the condition that there shall be at least one meeting in each quarter."

4. In the principal regulations, in regulation 25, in sub-regulation (5), for clause (b), the following shall be substituted, namely: -

"(b) seek a vote of the members who did not vote at the meeting on the matters listed for voting, by electronic voting system in accordance with regulation 26 where the voting shall be kept open, from the circulation of the minutes, for such time as decided by the committee which shall not be less than twenty-four hours and shall not exceed seven days:

Provided that on a request for extension made by a creditor, the voting window shall be extended in increments of twenty-four hours period:

Provided further that the resolution professional shall not extend the voting window where the matters listed for voting have already received the requisite majority vote and one extension has been given after the receipt of requisite majority vote."

5. In the principal regulations, after regulation 31A, the following regulation shall be inserted, namely: -

"31B. Approval of committee for insolvency resolution process costs.

The insolvency professional shall place in each meeting of the committee, the operational status of the corporate debtor and shall seek its approval for all costs, which are part of insolvency resolution process costs."

6. In the principal regulations, in regulation 35, in sub-regulation (1), after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the resolution professional shall facilitate a meeting wherein registered valuers shall explain the methodology being adopted to arrive at valuation to the members of the committee before computation of estimates."

7. In the principal regulations, in regulation 35, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely: -

"(2) After the receipt of resolution plans in accordance with the Code and these regulations, the resolution professional shall provide the fair value, the liquidation value and valuation reports to every member of the committee in electronic form, on receiving an undertaking from the member to the effect that such member shall maintain confidentiality of the fair value, the liquidation value and valuation reports and shall not use the information contained in the valuation reports to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person and comply with the requirements under sub-section (2) of section 29."

8. In the principal regulations, in regulation 36, in sub-regulation (2), after clause (k), the following clause shall be inserted, namely: -

"(ka) fair value:

Provided that the committee may decide not to disclose the fair value if, for reasons to be recorded in writing, it considers such non-disclosure to be beneficial for the resolution process."

9. In the principal regulations, in regulation 36A, after sub-regulation (1), the following clarification shall be inserted, namely: -

"Clarification: The resolution professional after the approval of the committee may invite a resolution plan for each real estate project or group of projects of the corporate debtor."

10. In the principal regulations, after sub-regulation (3) of regulation 38, the following sub-regulations shall be inserted, namely: -

"(4) The committee may consider the requirement of a monitoring committee for the implementation of the resolution plan.

(5) Where the committee considers that a monitoring committee for the implementation of the resolution plan is required, it may, while approving the resolution plan, decide to constitute the same with the resolution professional or propose another insolvency professional, or any other person as its members:

Provided that where the resolution professional is proposed to be part of the monitoring committee, the monthly fee payable to him shall not exceed the monthly fee received by him during the corporate insolvency resolution process."

11. In the principal regulations, in regulation 40, after sub-regulation (2), the following clarification shall be inserted, namely: -

"Clarification: It is clarified that the resolution professional shall continue to discharge his responsibilities under the corporate insolvency resolution process, till the application for extension is decided by the Adjudicating Authority."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./753/2023-24]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published *vide* Notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2023 published *vide* notification No. IBBI/2023-24/GN/REG106, dated the 18th September, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 645 on 18th September, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA